भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3524

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

तमिलनाडु में ग्रामीण कौशल विकास

†3524.श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के ग्रामीण और आकांक्षी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में उक्त विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों का और नामांकित, प्रशिक्षित, प्रमाणित और नियोजित उम्मीदवारों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने हेतु उक्त क्षेत्रों में कौशल विकास अवसंरचना, डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाओं और उद्योग साझेदारी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल शुरू की गई है; और

(ड.) तमिलनाडु के उक्त क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरी पाने में सहायता, उद्यमिता और प्रशिक्षुता अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी).

(क) से (घ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा तामिलनाडु राज्य के ग्रामीण और आकांक्षीय क्षेत्रों सहित देशभर में समाज के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण एवं कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

मंत्रालय की स्कीमों में से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लागू स्कीम के प्रथम तीन संस्करणों–पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 तथा पीएमकेवीवाई 3.0–के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन का विवरण संधारित किया गया, जिसमें कुल 56 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए, जिनमें से 24.38 लाख अभ्यर्थियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत नियोजित होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को विविध आजीविका एवं करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है तथा उन्हें इसके अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन एवं अभिमुखीकरण प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या तथा नामांकित, प्रशिक्षित एवं प्रमाणित अभ्यर्थियों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, जनजातीय जिलों आदि जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के लाभार्थियों तक कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों तथा अन्य वंचित वर्गों की कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सामान्य मानदंडों के अनुसार विशेष समूहों (महिलाओं एवं दिव्यांगजनों) तथा विशेष क्षेत्रों के लाभार्थियों को विशेष क्षेत्रों के भीतर अथवा बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवास एवं भोजन (बोर्डिंग एवं लॉजिंग) तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मानदंडों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामलों में विशेष समूहों को यातायात भत्ता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

जन शिक्षण संस्थान स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए लाभार्थियों के पहुँच तक तक गैर-औपचारिक माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण एवं शहरी निम्न-आय वाले समुदायों के व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तमिलनाडु राज्य में कुल लाभार्थियों में से 90 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित समूहों से संबंधित हैं, जबकि महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत है। प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान में एक आजीविका प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जिसका प्रमुख जेएसएस का कार्यक्रम अधिकारी होता है तथा अन्य कर्मचारी इसके कार्य में सहयोग करते हैं। यह प्रकोष्ठ प्रशिक्षित जेएसएस लाभार्थियों, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों, को उनके उद्यमशीलता एवं आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के साथ जोड़ने का कार्य करता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के व्यवसायों (वैकल्पिक व्यवसाय) को शामिल किए जाने से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला शिक्षुओं का प्रतिशत वर्ष 2024-25 में 22.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 25.80 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत आंशिक वजीफा सहायता, शिक्षुता पारितंत्र की क्षमता वृद्धि तथा हितधारकों तक पहुँच संबंधी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षुता को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्कीम के तहत संस्थान द्वारा शिक्षु को दिए जाने वाले वजीफे का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹1,500 प्रति माह प्रति शिक्षु तक, सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे शिक्षु के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। यह स्कीम जनजातीय युवाओं सहित सभी पात्र युवाओं के लिए उपलब्ध है तथा शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उद्योग-संगत कौशल एवं कार्यस्थल पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

देश में 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) तथा महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित 300 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं। भारत सरकार ने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (राजकीय एवं निजी) में सभी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को अनुमोदित किया है। इन सीटों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की लागू सामान्य आरक्षण नीति के अनुसार भरा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से देशभर में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

युवाओं के लिए कौशल विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करने, डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाओं एवं उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों में सुधार करने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

iii. संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।

iv. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नवयुगीन/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है,

vi. डीजीटी ने सीटीएस के तहत नवयुगीन/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

vii. राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

viii. अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित उद्योग के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक समूह बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

ix. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ और अधिक एकीकृत करने और अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच सुगम आवागमन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करता है और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

x. एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को आपस में जोड़कर हितधारकों के व्यापक समूह को लक्षित करते हुए जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

xi. कौशल महोत्सव और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है।

xii. सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता परिवर्तन) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस स्कीम अंतर्गत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। पीएम-सेतु का मुख्य उद्देश्य उद्योग-आधारित शासन के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार करना है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसके तहत शिक्षार्थियों (शुरुआती चरण के उद्यमों और पहली बार उद्यम करने वालों सहित) को उद्योग से संबंधित कौशल प्राप्त करने, वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव प्राप्त करने और सुदृढ़ संस्थागत प्रणालियों और उद्योग संबंधों के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता और स्वरोजगार सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है।

अनुबंध

'तमिलनाडु में ग्रामीण कौशल विकास' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3524 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2026 तक) के दौरान तमिलनाडु में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या, नामांकित, प्रशिक्षित तथा प्रमाणित उम्मीदवारों का ज़िले-वार ब्यौरा।

(i) **पीएमकेवीवाई:**

जिले का नाम	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या (एसटीटी+एसपी)	कुल नामांकित उम्मीदवार	कुल प्रशिक्षित उम्मीदवार	कुल प्रमाणित उम्मीदवार
अरियालूर	6	2,227	2,459	2,302
चेंगलपट्टू	8	1,761	1,639	830
चेन्नई	36	7,131	7,251	3,998
कोयंबटूर	42	11,618	10,038	6,609
कुड्डालोर	21	6,022	5,463	3,704
धर्मपुरी	17	3,496	3,396	2,503
डिंडीगुल	26	4,449	4,372	2,625
इरोड	20	6,212	5,545	3,765
कल्लाकुरिची	4	553	526	399
कांचीपुरम	16	5,666	5,540	4,201
कन्याकुमारी	18	3,230	2,916	1,925
करूर	4	2,404	1,931	1,614
कृष्णागिरी	10	4,157	3,714	2,667
मदुरै	23	4,892	4,420	3,313
नागपट्टिनम	15	5,904	5,326	4,188
नमक्कल	20	6,046	5,328	3,932
पेरम्बलुर	10	3,017	3,147	2,869
पुदुक्कोट्टई	10	2,322	1,914	1,407
रामनाथपुरम	11	1,173	1,118	713
रानीपेट	3	2,422	2,167	1,135
सलेम	21	3,143	2,591	2,123
शिवगंगा	14	1,865	1,761	1,048
तेनकासी	5	842	797	523
तंजावुर	14	5,308	4,937	4,151
नीलगिरी	6	5,001	4,086	3,654
थैनी	10	1,334	1,181	865
तिरुवल्लुर	21	7,684	7,683	5,926
थिरुवरुर	9	2,600	2,517	2,105
थूथुकुडी	5	1,282	1,161	1,014
तिरुचिरापल्ली	26	8,924	7,612	6,381
तिरुनेलवेली	16	3,427	3,320	2,517
तिरुपथुर	5	1,698	1,613	1,168
तिरुपूर	7	1,031	816	645
तिरुवन्नामलाई	12	7,031	6,483	5,528
वेल्लोर	17	6,230	5,586	4,296
विलुप्पुरम	7	2,492	2,113	1,511
विरुधुनगर	15	1,989	2,181	1,693

(ii) **जेएसएस**:

जिले का नाम	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या	कुल नामांकित उम्मीदवार	कुल प्रशिक्षित उम्मीदवार	कुल प्रमाणित उम्मीदवार
चेन्नई	1	4,121	3,896	3,895
कांचीपुरम	1	5,576	5,276	5,251
मदुरै	1	5,760	5,374	5,302
नागपट्टिनम	1	4,520	4,520	4,500
नमक्कल	1	5,960	5,393	5,384
शिवगंगा	1	5,960	5,394	5,257
तिरुवरुर	1	6,001	5,392	5,366
तिरुचिरापल्ली	1	5,440	5,080	5,077
विरुधुनगर	1	5,841	5,397	5,393

(iii) **एनएपीएस**:

जिले का नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या	कुल नियोजित उम्मीदवार	कुल प्रमाणित उम्मीदवार
अरियालूर	15	262	226
चैंगलपट्टू	168	22,903	450
चेन्नई	684	93,984	8,005
कोयंबटूर	486	35,430	2,763
कुड्डालोर	56	4,223	2,771
धर्मपुरी	35	471	196
डिंडीगुल	62	2,278	220
इरोड	87	4,787	816
कल्लाकुरिची	13	74	74
कांचीपुरम	505	1,14,521	2,663
कन्याकुमारी	50	892	431
करूर	36	794	497
कृष्णागिरी	224	29,325	4,890
मदुरै	180	5,582	778
माइलादुत्रयी	5	82	56
नागपट्टिनम	31	178	177
नमक्कल	28	219	168
पेरम्बलुर	18	3,276	161
पुदुक्कोट्टई	38	3,555	429
रामनाथपुरम	24	241	96
रानीपेट	42	5,009	854
सलेम	94	1,964	1,072
शिवगंगा	29	386	327
तेनकासी	17	252	7
तंजावुर	48	654	359
नीलगिरी	34	320	200
थैनी	38	289	133
तिरुवल्लुर	236	25,601	1,740
थिरुवरुर	19	70	14
थूथुकुडी	53	573	448
तिरुचिरापल्ली	98	8,739	3,209
तिरुनेलवेली	67	3,425	594
तिरुपथुर	23	478	56
तिरुपूर	105	2,047	196
तिरुवन्नामलाई	34	1,996	295
वेल्लोर	83	2,192	469
विलुप्पुरम	41	1,293	495
विरुधुनगर	41	1,357	212

(iv) **सीटीएस/आईटीआई**:

जिले का नाम	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या (आईटीआई)	कुल नामांकित उम्मीदवार	कुल प्रशिक्षित/आकलित उम्मीदवार	कुल प्रमाणित उम्मीदवार
अरियालूर	4	2265	815	779
चेंगलपट्टू	10	2458	1017	931
चेन्नई	12	5320	1982	1635
कोयंबटूर	14	3969	1580	1417
कुड्डालोर	22	7364	3433	3013
धर्मपुरी	2	1169	387	382
डिंडीगुल	9	3173	1370	1070
इरोड	13	2700	993	775
कल्लाकुरिची	10	2930	1199	1073
कांचीपुरम	8	1191	518	439
कन्याकुमारी	13	2846	1215	1053
करूर	7	926	513	489
कृष्णागिरी	5	1775	659	635
मदुरै	9	4882	2000	1872
माइलादुत्रयी	7	1230	725	496
नागपट्टिनम	7	2902	1206	920
नमक्कल	9	1503	446	346
पेरम्बलुर	6	1344	512	463
पुदुक्कोट्टई	13	3289	1351	1016
रामनाथपुरम	7	2809	854	775
रानीपेट	11	2722	1099	1032
सलेम	15	5098	1722	1575
शिवगंगा	7	1570	498	441
तेनकासी	13	2967	1192	941
तंजावुर	15	5105	2238	1605
नीलगिरी	6	1586	451	403
थैनी	8	3407	1261	1040
तिरुवल्लुर	16	3821	1625	1341
थिरुवरुर	10	2128	867	593
थूथुकुडी	16	3840	1351	1187
तिरुचिरापल्ली	22	6495	3036	2531
तिरुनेलवेली	12	3425	1339	1111
तिरुपथुर	5	1166	425	347
तिरुपूर	8	2901	797	743
तिरुवन्नामलाई	24	4885	2828	2510
वेल्लोर	11	2470	1261	1121
विलुप्पुरम	21	2525	1309	1161
विरुधुनगर	8	3556	1283	1134
